

रिलायंस इंफारस्ट्रक्चर के नेतृत्व वाली बीएसईएस की अपीलः

## बिजली लाइनों के पास न करें पतंगबाजी, हो सकता है जान को खतरा

बिजली आपूर्ति में बाधा पहुंचाना व बिजली उपकरणों को क्षतिग्रस्त करना कानूनन जुर्म

- मेटल-युक्त मांझे का प्रयोग न करें
- मेटल-कोटेड होते हैं पतंग के ज्यादातर मांझे
- तारों के संपर्क में आते ही इनमें बिजली प्रवाहित होने लगती है

नई दिल्ली: 10 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस पर पतंगबाजी के शौकीनों से रिलायंस इंफारस्ट्रक्चर के नेतृत्व वाली बीएसईएस ने अपील की है कि वे बिजली के खंभों, तारों, द्रांसफॉर्मरों और अन्य उपकरणों के आसपास पतंग न पड़ाएं। उपभोक्ताओं से यह भी अपील की गई है कि वे पतंग उड़ाने के लिए मेटल-युक्त मांझे का प्रयोग न करें। मैटेलिक मांझा न सिर्फ इलाके की बिजली गुल कर सकता है, बल्कि इससे पतंग उड़ाने वालों की जान को भी खतरा हो सकता है। याद रखें, मेटल-कोटेड मांझा जब बिजली की तारों व अन्य उपकरणों के संपर्क में आता है, तो बिजली का करंट मैटेलिक मांझे से प्रवाहित होकर पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति के शरीर तक पहुंच सकता है।

उपभोक्ताओं, खासकर बुजर्गों व पेरेंट्स से अपील की गई है कि वे बच्चों को यह समझाएं कि वे कटी हुई पतंग लेने के लिए बिजली उपकरणों के पास या प्रतिबंधित इलाकों में न जाएं। यह बिजली आपूर्ति को बाधित करने के अलावा उनकी जान को भी जोखिम में डाल सकता है।

उल्लेखनीय है कि अगर 66/33 केवी की सिर्फ एक लाइन ट्रिप हो जाए, तो इससे 10 हजार से अधिक लोगों के घरों में अंधेरा छा सकता है। यदि 11 केवी की एक लाइन ट्रिप होती है, तो लगभग 2500 से अधिक लोगों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

रिलायंस इंफारस्ट्रक्चर के नेतृत्व वाली बीएसईएस प्रवक्ता के मुताबिक, लोग पतंगबाजी का आनंद लें, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे बिजली आपूर्ति से जुड़े उपकरणों के पास पतंग न उड़ाएं और पतंग उड़ाने के लिए मेटल कोटेड मांझे का उपयोग हरगिज न करें। ये कुछ छोटे उपाय स्वतंत्रता दिवस के जश्न को सुरक्षित बना सकते हैं।

यहां यह बताना जरूरी होगा कि बिजली आपूर्ति में बाधा पहुंचाना और बिजली के उपकरणों को क्षतिग्रस्त करना कानूनन जुर्म है। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी ऐकट और दिल्ली पुलिस ऐकट के तहत सजा का प्रावधान है।

पतंगबाजी की वजह से होने वाली ट्रिपिंग के मद्देनजर रिलायंस इंफास्ट्रक्चर के नेतृत्व वाली बीएसईएस ने अपनी ओएंड टीमों को हाईअलर्ट पर रखा है। टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कहीं पतंगबाजी की वजह से ट्रिपिंग होती है, तो घटनास्थल पर तुरंत पहुंचकर, इलाके में जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था बहाल की जाए।

किसी भी आपात स्थिति में उपभोक्ता रिलायंस इंफास्ट्रक्चर के नेतृत्व वाली बीएसईएस के हेल्पलाइन नंबरों 19122—बीवाईपीएल और 19123—बीआरपीएल पर संपर्क कर सकते हैं।

---

प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल, रिलायंस इंफास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उदयम हैं।